

मान्यता कोड : RJJDP22347

## कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक(प्रथम/द्वितीय)JODHPUR , राजस्थान

क्रमांक: 1547

दिनांक 14.9.17

सचिव

प्रबंध समिति

AARDI INTERNATIONAL SCHOOL BANAD

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 18908 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चात्कर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, AARDI INTERNATIONAL SCHOOL BANAD पता O/P GOVT HOSPITAL BANAD ROAD,


IICHIYARA BAI PAS, JODHPUR ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय BANAD ब्लॉक MANDORE को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता है :-

क्रमोन्नति	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय की श्रेणी	Primary with Upper Primary (1-8 )
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 / कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 संचालित करना चाहता है	No

- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं भी जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवैदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।

PRINCIPAL  
AARDI INTERNATIONAL SCHOOL  
BANAD, JODHPUR (RAJ.)

मान्यता कोड : RJJDP22347

  
जिला शिक्षा अधिकारी भाद्यमिक-प्रथम  
शिक्षा विभाग (माध्यमिक-जाध्यपुरीय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 चरिष्ट शासन उप सचिव, शिक्षा (गुरप5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- 4 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ..... संभाग.....।

रक्षित पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी भाद्यमिक-प्रथम  
शिक्षा विभाग (प्रथम/द्वितीय)  
माध्यमिक-जाध्यपुर